लोगों को किस-किस देश में भेजा था और क्या इस प्रकार भेजे गए लोगों को कोई काम दिया गया था या नहीं ; और

(ङ) क्या यह सच है कि बहुत से लोगों को भारतीय दूतावासों द्वारा वापस भेज दिया गया; यदि हां, तो क्या इस कारण हुए खर्च को उन कंपनियों से वसूल किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) इन 14 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उनके खिलाफ छल और कपट करने का प्रत्यक्षतः सबूत था जबकि अन्य मामलों में जांच-पड़ताल चल रही है ।

(ख) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अनुसार, केवल पंजीकृत भर्त्ती एजेन्ट ही विदेशों में श्रमिकों को भेज सकते हैं किसी भी अपंजीकृत भर्त्ती एजेन्ट को श्रमिकों को विदेशों में भेजने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है ।

(ग) जब कभी विदेशी कम्पनियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन्हें संबंधित भारतीय दूतावासों के साथ उठाया जाता है जो उस मामले को, आवश्यक होने पर, विदेशी सरकारों के साथ उठाते हैं ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार विदेशी कम्पनियों में नियोजित किसी भी श्रमिक को भारतीय दूतावासों द्वारा सरकारी खर्च पर वापस नहीं भेजा गया ।

मजदूरों को विदेश भेजने वाली भर्ती एजेंसियां

117. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**

डा० बापू कालदाते :

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी :

क्या **श्रम** मंत्री 3 दिसम्बर, 1985 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 206 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि समय-समय पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर भर्त्ती एजेन्टों के 82 मामलों की जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : शेष 82 एजेन्टों में से, 42 एजेन्ट श्रम मंत्रालय के पास पंजीकृत नहीं हैं और उनके मामले समुचित दाण्डिक कार्रवाई के लिए पुलिस के पास भेज दिए गए है ।

3.12.1985 को राज्य सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 206 का उत्तर दिए जाने के बाद पंजीकृत एजेंटों के विरूद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

एक एजेंट का पंजीकृत प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है;

8 एजेंटों के पंजीकृत प्रमाणपत्र निलंबित कर दिए गए है;

3 भर्ती एजेंटों की बैंक प्रतिभूति राशि जब्त करने की कार्रवाई की गई है; और

पुलिस प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, 6 भर्ती एजेंटों के विरूद्ध चल रहे मामले निपटा दिए गए हैं ।